संख्या– / I(2)–2017–03(39) / 2013

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 02 ~~जनवरी, 2017~~ फरवरी, 2018

विषयः– वित्तीय वर्ष 2017–18 में जन जाति क्षेत्र उप योजना (टी0एस0पी0) के अन्तर्गत बाढ़ सुरक्षा योजनाओं की प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 3593 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / नि0अनु0 / पी–27 (टी0एस0पी0) दिनांक 14 नवम्बर, 2017, पत्र संख्या 4002 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / नि0अनु0 / पी–27 दिनांक 20 नवम्बर, 2017 एंव पत्र संख्या 2015 / मु0अ0वि0 / नि0अनु0 / पी–27 (टी0एस0पी0) दिनांक 20 जुलाई, 2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जन जाति क्षेत्र उप योजना (टी0एस0पी0) के अन्तर्गत जनपद देहरादून एवं ऊधमसिंह नगर की संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार बाढ़ सुरक्षा योजनाओं के प्राक्कलनों की विभागीय टीएसी द्वारा संस्तुत कुल लागत रू 55.69 की प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2017–18 में रू0 50.50 लाख (रू0 पचास लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि निम्न प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(i) धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत ही किया जाय, धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। जहां कही आवश्यक हो यथावश्यकता सक्षम अधिकारी / शासन की स्वीकृति व्यय से पूर्व प्राप्त कर ली जाय।

(ii) धनराशि का आहरण व व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किस्तों में किया जायेगा।

(iii) धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृत एवं कार्यो के प्राक्कलन सक्षम अधिकारी से अवश्य स्वीकृत करा लिये जाय।

(iv) उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।

(v) जहॉ आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय तथा कार्यों के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीकी का प्रयोग किया जाय।

(vi) स्वीकृत धनराशि का खण्डवार विभाजन प्रमुख अभियन्ता द्वारा किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार उत्तराखण्ड राज्य सरकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

(vii) उक्तानुसार आवंटित धनराशि को तत्काल कार्यदायी संस्था / आहरण वितरण अधिकारी को अवमुक्त कर दी जाय, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।

..2

(viii) कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(ix) विभागीय कार्य करने से पूर्व सिंचाई विभाग/लोक निर्माण विभाग की दरों पर आगणन गठित कर एवं तकनीकी अधिकारियों की संस्तुति के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(x) त्रैमासिक रूप से कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं व्यय विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा और स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2018 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।

(xi) धनराशि आहरण सी0सी0एल0 हेतु निर्धारित नियमान्तर्गत ही किया जायेगा।

2 इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुदान संख्या–31 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4711–बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय–01–बाढ़ नियंत्रण–796–जनजाति क्षेत्र उपयोजना–03–सिविल निर्माण कार्य–01–अनापेक्षित आपातकालीन कार्य नदी में सुधार तथा कटाव–24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3 यह आदेश वित्त विभाग के असासकीय संख्या– 675/XXVII(2)/2018, दिनांक 30 जनवरी, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

संलग्न–यथोक्त

भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

संख्या–196(1)/ II(2)–2017–03(39)/2013तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस सी–1/105, इन्दिरानगर, दे0दून ।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
3. निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
4. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
7. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. बजट निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
10. वित्त नियंत्रण सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड द्वारा प्रमुख अभियन्ता सिंचाई, विभाग उत्तराखण्ड।
12. गार्ड फाईल।

संलग्न–यथोक्त

आज्ञा से,
(देवेन्द्र पालीवाल)
अपर सचिव।

शासनादेश संख्या 196 / ।।(2)–2017–03(39) / 2013, दिनांक 02 ~~जनवरी~~ फरवरी, 2018 का संलग्नक

(धनराशि रू0 लाख में)

क0 सं0	योजना का नाम	विभागीय टीएसी द्वारा संस्तुत धनराशि	वित्तीय वर्ष 2017–18 मे अवमुक्त की जा रहीं धनराशि
1	जनपद देहरादून के जनजाति क्षेत्र चकराता विकास खण्ड के ग्राम पंचायत कुैनेन के सैंज गांव में स्थित दाराछानी बस्ती खड्ड से बाढ सुरक्षा योजना।	9.44	9.44
2	जनपद देहरादून के चकराता विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम पंचायत डिमीच–भद्रोली के खेडा घोण्टी तथा कैलन की कृषि भूमि एवं भवनों की केनल खड्ड से बाढ सुरक्षा योजना।	9.54	9.54
3	जनपद देहरादून के जनजाति क्षेत्र विकासनगर विकास खण्ड के ग्राम शाहपुर–कल्याण एवं ग्राम आदूवाला की बाढ़ सुरक्षा कार्यो की योजना।	9.77	9.77
4	जनपद ऊधमसिंह नगर के बाजपुर विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम थोडुपुरा में नाले निर्माण कार्य।	8.53	8.53
5	जनपद ऊधमसिंह नगर के बाजपुर विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम बॉसखेडा में नाले निर्माण कार्य।	8.89	8.89
6	जनपद देहरादून के चकराता विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम पंचायत अमराड–झबराड के खेडा खेला पाठियार में कृषि भूमि एवं भवनों की बाढ़ सुरक्षा योजना।	9.52	4.33
	योग	**55.69**	**50.50**

(रू0 पचास लाख पचास हजार मात्र)

दे0 पालीवाल

(देवेन्द्र पालीवाल)
अपर सचिव